न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 05/2013

अपीलार्थी

1. श्री वीराराम पुत्र श्री हकमाजी जाति घांची निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्री रामाराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति घांची निवासी सोनी गली झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिह आढा अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)
3. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक।

निर्णय दिनांक : 05.01.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 03.06.1987 के विरूद्ध दिनांक 21.06.2013 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया ने जरिए वकालतनाम के उपस्थिति दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा झाडौली पटवार हल्का झाडौली तहसील पिण्डवाडा जि[illegible] खसरा संख्या 863 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा संख्या 86[illegible] रकबा [illegible] बिस्वा कुल किता 02 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता श्री [illegible] पुत्र श्री मकना जाति घांची की खातेदारी भूमि आई हुई [illegible] इसी प्रकार [illegible] रामाराम के पिता श्री सांकला वल्द हकमा जाति घांची की भूमि खसरा सं[illegible] 150 रकबा 1.11 बीघा [illegible] झाडौली में आई हुई है। यह है कि अपीलांट के पिता का नाम श्री हकमाराम एवं अपीलांट के दादा का नाम श्री मकनाजी है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री रामाराम के

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पिता का नाम श्री सांकलाजी व दादा का नाम श्री हकमाजी एवं परदादा का नाम श्री भीखाजी है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पिता श्री सांकला पुत्र श्री हकमा की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1228 भरा गया था, जिसमें उक्त श्री सांकला जी की मृत्यु के साथ–साथ अपीलांट के पिता श्री हकमाजी की मृत्यु होना मानते हुए दोनों ही राजस्व आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम दर्ज कर स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि खसरा संख्या 863 व 865 अपीलांट के पिता श्री हकमा पुत्र श्री मकना के नाम से दर्ज था, इसके उपरान्त भी राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई जांच किए उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि खसरा संख्या 863 व 865 अपीलांट के मालिकी स्वामित्व व पुश्तैनी भूमि है एवं उक्त आराजी पर अपीलांट अपने हक जताते व बताते हुए काबिज काश्त है। यह है कि उक्त नामान्तरकरण का स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 03.06.1987 का निरस्त कर खसरा संख्या 863 रकबा 1.01 बीघा व खसरा संख्या 0. 11 बीघा काश्तकार का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या एक के स्थान पर अपीलांट का नाम खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। यह है कि अपीलांट द्वारा गलत वंशावली प्रस्तुत की गई है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पिता का नाम श्री सांकलाजी एवं दादा का नाम श्री हकमाजी एवं परदादा का नाम श्री मकनाजी था। यह है कि अपीलांट द्वारा श्री हकमाजी के पिता का नाम श्री भीखाजी दर्शाया है, जो गलत है, क्योंकि श्री भीखाजी, श्री हकमाजी के भाई थे। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुश्तैनी भूमि का उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री रामाराम होने से उक्त नामान्तरकरण का स्वीकृत किया गया है। यह है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का झाडौली की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावे।

दोनों पक्षों की सुनी[illegible] बहस पर मनन [illegible]या एवं पत्रावली का भलीभाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ [illegible] का भी अवलोकन किया तो मै निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा झाडौली पटवार हल्का झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 863 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा संख्या 865 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 150 रकबा 1.11 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भूमि आई हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 150 पूर्व में श्री सांकला वल्द हकमा कौम घांची के नाम सां. देह खातेदार दर्ज थी। इसी प्रकार खसरा संख्या 863 एवं 865 पूर्व में श्री हकमा वल्द मकना कौम घांची सा. देह गैर खातेदार दर्ज थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का झाडौली की रिपोर्ट के आधार पर खातेदार श्री सांकला व श्री हकमा की फौत होने से उनके उत्तराधिकारी पुत्र व पोता रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री रामाराम के नाम नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 03.06.1987 को स्वीकृत किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के दादा श्री हकमा के पिता का नाम श्री भीखाजी था एवं अपीलांट के पिता श्री हकमा जी के पिता नाम श्री मकनाजी था एवं खसरा संख्या 863 एवं 865 अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है। इस संबंध में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा से उनकी वंशावली से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट प्राप्त की, उक्त जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री रामाराम के पिता का नाम श्री सांकलाराम एवं दादा का नाम श्री हकमाराम एवं परदादा का नाम श्री मकनाराम था। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के दादा श्री हकमाराम के पिता का नाम श्री मकनाराम था। अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया था कि श्री हकमाराम के पिता का नाम श्री भीखाराम था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा की रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि श्री भीखाराम, श्री हकमाराम के भाई थे एवं इनके पिता का नाम श्री मकनाराम था। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 03.06.1987 श्री सांकला वल्द हकमा का पुत्र एवं श्री हकमा वल्द मकना का पोता रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री रामाराम पुत्र श्री सांकला जी होने से पटवारी हल्का झाडौली की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1228 दिनांक 03.06.1987 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner